"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the State Bank of India (Amendment) Bill, 2007, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 20th August, 2007.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India".

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

Supplementary Demands for Grants (Railways) 2007-08

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नारनभाई रठवा) : महोदय, मैं 2007-08 के वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल) को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

BILL INTRODUCED

The Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill, 2007

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI: Sir, I introduce the Bill.

RE. COMMENTS MADE BY INDIAN AMBASSADOR IN U.S.A.

श्री उपसभापति : गवर्नमेंट कुछ कहना चाहती है। **...(व्यवधान)...** स्पेशल मेंशन नही है। **...(व्यवधान)...** यह नही होगा। **...(व्यवधान)...** इस तरह नही होगा। मंत्री जी, बोलिए।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : उपसभापति महोदय, सुबह विदेश मंत्री जी ने यह कहा था कि वे वस्तुस्थिति जानकर अवगत कराएंगे कि वहां के राजदूत ने इस विषय में क्या बोला है और जैसे ही उनको इस बात की सूचना मिलेगी या मिल जाएगी, तुरंत इस सदन को हम अवगत कराएंगे। मैं विदेश मंत्री से पता कर लेता हूं कि उनको यह सूचना यदि मिली है, तो वे उससे इस सदन को अवगत कराएं। यदि वे उस सदन में अवगत करा रहे हैं, तो इस सदन को भी अवगत कराएं।

...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : **...(व्यवधान)...** What is you demand?...(Interruptions)... क्या करें? ऐसा कब तक चलता रहेगा? **...(व्यवधान)...** कब तक चलता रहेगा?